न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 385/2021

1. गोपीराम पुत्र श्री लिक्ष्मणराम जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. रामेश्वर लाल पुत्र श्री लिक्ष्मणराम जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. रामचन्द्र पुत्र श्री लिक्ष्मणराम जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

--वादीगण

बनाम

1. लिक्ष्मण राम पुत्र श्री केसराराम जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. मनीराम पुत्र श्री लिक्ष्मण राम जाति सुथार साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. मनोहरी देवी पुत्री श्री लिक्ष्मण राम (फौत):
   3/1. मुकेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र जाति सुथार निवासी रोहिडावाली
   3/2. रोशनी पुत्रीश्री राजेन्द्र जाति सुथार निवासी कबूलशाह
   3/3. मन्जू पुत्री श्री राजेन्द्र जाति सुथार निवासी उमेवाला
   3/4. पवन कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र जाति सुथार निवासी रोहिडावाली
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 बाबत घोषणा, खाता विभाजन

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री इन्द्रजीतपाल सिंह अधिवक्ता --- वादी सं. 1 व 3
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 4

-:: निर्णय ::-

दिनांक:-14/02/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। [illegible] है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी [illegible] व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के दादा एंव प्रतिवादी सं. 1 के पिता केसराराम [illegible] भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज हुई भूमि में वादीगण को जन्म से ही हक -हिस्सा [illegible] है। वादीगण सयुंक्त परिवार के मुख्य सदस्य प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज भूमि में अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2-3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:38:56 IST
Reason: SelfAttested

14.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता केसराराम पुत्र सुरजाराम के नाम से वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304(31) के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 हैक., प.नं. 50/305(31) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी में 1/5 हिस्सा व इसी के प.नं. 50/303(21), 50/304 (31) की 5.743 हैक. खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। मूल प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2042-2045 वाद पत्र के सलंग्न की गई है।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता केसराराम की मृत्यु उपरान्त मद सं. 4 की भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304(31) के किला नं. 8 ता 12, 13/2, 14, 15, 19 ता 22 की 2.960 हैक. नहरी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम विरासतन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के प्रत्येक का 1/6 हिस्सा-हक जन्म से ही निहित है।प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपना पूरा हक व हिस्सा अर्सा पूर्व वादीगण के हक मे छोड दिया था। प्रतिवादी सं. 1 का हक व हिस्सा चक नं. 8 पीबीएन के खाता सं. 93/100 की 1.265 हैक. सुरक्षित है। वादीगण अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। मूल जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 वाद पत्र के सलंग्न की गई है।

प्रश्नगत भूमि में वादीगण का हिस्सा काश्त अर्सा दराज पूर्व से बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। वादीगण को घरू घरा बंटवारा मे अच्छी-मन्दी के हिसाब से प्राप्त भूमि निम्न प्रकार से है:-

(क) यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वर्णित भूमि में से वादी सं. 1 गोपीराम को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 11/0.199, 12/0.199, 13/2/0.141, 14, 15 की 1.045 हैक. नहरी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(ख) यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वर्णित भूमि में से वादी सं. 2 रामेश्वर लाल को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 11/0.017, 12/0.017, 19 ता 22 की 1.046 हैक. नहरी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(ग) यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वर्णित भूमि में से वादी सं. 3 रामचन्द्र को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 8 ता 10, 11/0.037, 12/0.037, 13/2/0.036 की 0.869 हैक. नहरी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि वादीगण वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वाद-पत्र की दफा 6 मे वर्णित कृषि भूमि को निम्न प्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:58:56 IST
Reason: SelfAttested

(क) यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वर्णित भूमि में से वादी सं. 1 गोपीराम को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 11/0.199, 12/0.199, 13/2/0.141, 14, 15 की 1.045 हैक. नहरी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

14.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(ख) यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वर्णित भूमि में से वादी सं. 2 रामेश्वर लाल को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 11/0.017, 12/0.017, 19 ता 22 की 1.046 हैक. नहरी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(ग) यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वर्णित भूमि में से वादी सं. 3 रामचन्द्र को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 8 ता 10, 11/0.037, 12/0.037, 13/2/0.036 की 0.869 हैक. नहरी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 10.02.2022 को वादी सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:58:56 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किये बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से

14.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

(क) वादी सं. 1 गोपीराम को–

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 11/0.199, 12/0.199, 13/2/0.141, 14, 15 की 1.045 हैक.।

(ख) वादी सं. 2 रामेश्वर लाल को–

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 11/0.017, 12/0.017, 19 ता 22 की 1.046 हैक.।

(ग) वादी सं. 3 रामचन्द्र को –

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पी.बी.एन.ए. के प.न. 50/304 (31) के किला नं. 8 ता 10, 11/0.037, 12/0.037, 13/2/0.036 की 0.869 हैक.।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

14.02.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:58:56 IST
Reason: SelfAttested